भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 388369

D 3883

सत्येन्द्र पाल 11 DEC 2013

11 NOV 2013

आगरा

बैनामा रजिस्ट्रीशुदा के खुद के क्रय की थी कि जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार महोदय आगरा के यहाँ बहीं नं0 1 जिल्द संख्या 5805 के सफा 221/242 में नं0 24 पर दिनांक 03.01.2007 को विधिवत् दर्ज रजिस्र्ड हुई है तथा सोलहवीं दिनांक 06.01.2007 ई0 श्री शैलेन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री किशनलाल अग्रवाल उक्त ने भूखण्ड सं0 130 व 131 खसरा नं0 212 क्षेत्रफल 200 वर्ग गज को श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री लाचारी राम नि0 43/177, सती बस्ती, सिकन्दरा आगरा से वजरिये बैनामा रजिस्ट्रीशुदा के खुद के क्रय की थी कि जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार महोदय आगरा के यहाँ बहीं नं0 1 जिल्द संख्या 5807 के सफा 393/384 में नं0 63 पर दिनांक 06.01.2007 को विधिवत् दर्ज रजिस्र्ड हुई है तथा सत्रहवीं दिनांक 18.12.2006 ई0 को श्री विकास जिन्दल उक्त ने भूखण्ड सं0 224 व 170 खसरा नं0 212 क्षेत्रफल 100 वर्गगज को श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री दौलतराम अग्रवाल नि0 ग्राम अकबरा पो0 अरतौनी जिला आगरा व रामजीलाल पुत्र श्री रामदीन नि0 3/293, मौ0 रोशन, आगरा वहैसियत मुख्त्यारेआम मिनजानिब श्रीमती रेखा गोयल पत्नी श्री महावीर प्रसाद गोयल नि0 हरीश क्लॉथ स्टोर, गोपाल कटरा, सुभाष बाजार आगरा से वजरिये बैनामा रजिस्ट्रीशुदा के खुद के क्रय की थी कि जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार महोदय आगरा के यहाँ बहीं नं0 1 जिल्द संख्या 5793 के सफा 225/246 में नं0 6163 पर दिनांक 18.12.2006 को विधिवत् दर्ज रजिस्र्ड हुई है तथा अठारहवीं दिनांक 07.02.2007 ई0 को श्री शैलेन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री किशनलाल अग्रवाल उक्त ने भूखण्ड सं0 114 खसरा नं0 212 क्षेत्रफल 100 वर्गगज को श्रीमती मालती देवी पत्नी स्व0 श्री कुजीलाल नि0 26/50 मोहनपुरा, आगरा से वजरिये बैनामा रजिस्ट्रीशुदा के खुद के क्रय की थी कि जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार महोदय आगरा के यहाँ बहीं नं0 1 जिल्द संख्या 5838 के सफा 121/140 में नं0 474 पर दिनांक 07.02.2007 को विधिवत् दर्ज रजिस्र्ड हुई है तथा उन्नसवीं दिनांक 06.01.2007 ई0 श्री शैलेन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री किशनलाल अग्रवाल उक्त ने भूखण्ड सं0 128 व 129 खसरा नं0 212 क्षेत्रफल 200 वर्गगज को श्री मानिक चंद पुत्र श्री लाचारी राम नि0 ग्रा0 व पो0 कराहरा तहसील किरावली जिला आगरा से वजरिये बैनामा रजिस्ट्रीशुदा के खुद के क्रय की थी कि जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार महोदय आगरा के यहाँ बहीं नं0 1 जिल्द संख्या 5807 के सफा 385/406 में नं0 64 पर दिनांक 06.01.2007 को विधिवत् दर्ज रजिस्र्ड हुई है तथा बीसवीं दिनांक 18.12.2006 ई0 को श्री विकास जिन्दल उक्त ने भूखण्ड सं0

Shailendra

Usha Khandelwal

Sanjay Khand.

S. P. Singh
Chief Cashier
Treasury, Agra

क्रेता

egistration No. : 6524 Year : 2,013 Book No. : 1

संजय खण्डेलवाल
रामबाबू खण्डेलवाल
59 राहुल ग्रीन फेस 2 दयालबाग आगरा पेन नं एएनआईपीके 8213
व्यापार

ऊषा खण्डेलवाल
संजय खण्डेलवाल
59 राहुल ग्रीन फेस 2 दयालबाग आगरा पेन नं सीईजीपीके 2564ए
गृहिणी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रूपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 388368

सत्येन्द्र पाल 11 NOV 2013 कोषाधिकारी आगरा

7

86 व 87 खसरा नं0 212 क्षेत्रफल 200 वर्गगज को श्रीमती राधरानी पत्नी स्व0 श्री जयप्रकाश शर्मा व कु0 माधवी शर्मा पुत्र स्व0 श्री जयप्रकाश शर्मा व मनोज कुमार व मुकेश कुमार पुत्रगण स्व0 श्री जयप्रकाश शर्मा नि0 मीटर विभाग, पावर हाउस, आगरा फोर्ट, आगरा व हाल नि0 खाई हनुमान गली, हाथरस से वजरिये बैनामा रजिस्ट्रीशुदा के खुद के क्रय की थी कि जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार महोदय आगरा के यहाँ बहीं नं0 1 जिल्द संख्या 5793 के सफा 155/184 में नं0 6160 पर दिनांक 18.12.2006 को विधिवत् दर्ज रजिस्र्ड हुई है के द्वारा क्रय की थी और बाद खरीद के उपरोक्त जमीन मजकूर पर कम्पनी विक्रेता प्रथमपक्ष ने 7 मंजिली इमारत तामीरात करायी बाद तामीरात के हममुकिरान विक्रेतागण प्रथमपक्ष उपरोक्त फ्लैट नम्बरी मजकूर की तनहा मालिक काबिज दखील व स्वामी चले आते है और सिवाय हममुककिरान विक्रेतागण प्रथमपक्ष के उपरोक्त फ्लैट नम्बरी मजकूर में अन्य कोई हकदार व हिस्सेदार किसी प्रकार का नहीं है कि जो माने किसी प्रकार के इन्तकाल वगैरा का होवे और उपरोक्त फ्लैट मजकूर आज तक हर प्रकार के कर्जे, वार, रहन, वैय, हिवे, इकरारनामा, मुआहिदा वैय, एक्यूटेबिल मोर्गेज, बंधक व विक्रय आदि से कतई तौर पर पाक व साफ है व गुडटाइटिल युक्त है। जिसका बेचना वास्ते जरूरत खुद व मिलने माकूल कीमत के हममुकिरान विक्रेतागण प्रथमपक्षगण को स्वीकार है जिसकी क्रेता उचित व वाजिव कीमत देने को तैयार व रजामंद है।

लिहाजा हममुकिरान विक्रेतागण ने खूब सोच व समझकर बिला बहकाये व सिखाये व बिला दवाब किसी नाजायज के अपने पूर्ण होशों हवास में व बिला सेवन किये हुए किसी नशीली वस्तु के व सलाह व मशविरा किये अपने परिवारीजनों व हितैषीजनों के अपने उपरोक्त फ्लैट नंम्वरी मजकूर का विक्रय मय तमाम जुमला हक व हकूक के व मय दाखिली व खारिजी के व विला छोड़े किसी शै व जुज शै के व मय गुडटाइटिल की गांरटी के साथ व बिल एवज **मुवलिग 22,50,000/— बाईस लाख पचास हजार रूपया** कि आधे जिसके **11,25,000/— ग्यारह लाख पच्चीस हजार रूपया** होते हैं में बदस्त **संजय खण्डेलवाल** पुत्र श्री रामबाबू खण्डेलवाल व **श्रीमती ऊषा खण्डेलवाल** पत्नी श्री संजय खण्डेलवाल निवासी 59, राहुल ग्रीन फेस—2, दयालबाग, आगरा द्वितीय पक्ष को वै कतई किया और बेच दिया और कीमत का कुल रूपया हममुकिरान विक्रेतागणों ने क्रेता से नकद पेशतर वसूल पा लिये हैं।

Usha Khandelwal Shailendra Sanjay Khandelwal

25000

18/11/23

S. P. Singh
Chief Cashier
Treasury, Agra

D 388398

सब रजिस्ट्रार प्रथम आगरा * उत्तर प्रदेश *

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 388367

उक्त धनराशि के समक्ष गवाहान के प्राप्त कर लिये, अब हममुकिरान विक्रेता प्रथमपक्षगणों व कम्पनी का उपरोक्त फ्लैट नंबरी मजकूर के विक्रय की कीमत में क्रेता से कुछ भी लेना व पाना बाकी नहीं रहा है और न ही आइंदा होगा।

लिहाजा कब्जा व दखल वाकई उक्त फ्लैट मजकूर पर क्रेता खरीदार द्वितीय पक्ष का करा दिया और उक्त फ्लैट मजकूर का मालिक काबिज व दखील बना दिया अब क्रेता तृतीय पक्ष को हक व अधिकार है कि वह उक्त फ्लैट मजकूर से वहैसियत मालिक चाहे जिस प्रकार से लाभान्वित होवे व फायदा उठावे और अपनी आवश्यकतानुसार तरमीम व तामीरात करावे, खुद रहे या किराये पर उठावे आवश्यक्ता पड़ने पर रहन, वैय, हिवै व मुआहिदा वैय एक्यूटेबिल मोर्गेज व विक्रय आदि जो चाहे सो करे वह अपने नाम का नामांकन महकमा मजाज नगर निगम आगरा में वजरिये बैनामा हाजा दर्ज करा लेवे जिसमें हममुकिरान विक्रेतागण प्रथमपक्षगण व वारिसान हमारे को कोई उज्र व एतराज न है न आयंदा होगा।

अगर भविष्य में उपरोक्त फ्लैट नंबरी मजकूर की बावत टाइटिल में कोई कानूनी नुक्स पाई जावे तो ऐसी तमाम सूरतों में उस कुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी व देनदारी हममुकिरान विक्रेतागण व वारिसान हमारों की हैं और आंयदा होगी।

विक्रीत फ्लैट बहुमंजलिय इमारत के अनुसार विक्रय किया गया है। फ्लैट सम्बन्धी शर्ते इस प्रकार है :-

1. यह कि विक्रय शुदा फ्लैट आवासीय प्रयोजन में ही लाया जायेगा।
2. यह कि विक्रय किये गये फ्लैट की ऊपरी छत पर क्रेता का कोई स्वामित्व व अधिकार नहीं होगा।
3. यह कि क्रेता को भूतल पर खुली हुई भूमि या उस पर बने हुए जीना या खुले हुए क्षेत्रफल आदि में वाहन पार्किंग व आने जाने के अतिरिक्त अन्य कोई स्वामित्व व अधिकार नहीं होगा और न ही उसके मूल ढांचे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आदि नहीं करा सकेगा। सार्वजनिक रास्ता व जीना आदि समस्त सदस्यों के लिये संयुक्त रूप से प्रयोग में करने के लिए उपलब्ध रहेगा। क्रेता द्वारा किसी प्रकार का

Usha Khandelwal Shailendra Sanjay Khandelwal

S. P. Singh
Chief Cashier
Treasury, Agra

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 38836

सत्येन्द्र पाल
11 NOV 2013
01 DEC 2013
कोषाधिकारी
आगरा

9

स्वामित्व व अधिकार किसी भी रूप में नहीं होगा। और न ही वह दूसरों के इस्तेमाल में कोई बाधा उत्पन्न कर सकेगा।

4. यह कि क्रेता को विक्रय की गई सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई अन्य निर्माण, तोड़ फोड़ करने का अधिकार नहीं होगा परन्तु वह विक्रय की हुई सम्पत्ति में आंतरिक साज सज्जा अस्थायी प्रकृति का होगा व उसे करने के लिये स्वतन्त्र होगा। उदाहरण के लिए निर्माण नहीं कर सकेगा जिससे निर्माण के मूल ढांचे में कोई क्षति हों।
5. यह कि बहुमंजिला इमारत की भूतल की भूमि पर किसी प्रकार का क्रेता सदस्य को प्रथक रूप से स्वामित्व नहीं होगा व शामिलाती स्वामित्व निहित होगा।
6. यह कि विक्रय की गई सम्पत्ति को सुरक्षित व सही रूप से उसका रख–रखाव सुरक्षा पेन्ट आदि क्रेता अपने खर्चे से स्वयं करायेगा।
7. यह कि विक्रय की गयी सम्पत्ति में क्रेता टेलीफोन लगा सकेगा लेकिन विक्रेता प्रथमपक्ष द्वारा डिजायन तार आदि की दी गयी है उसके मूल ढांचे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आदि नहीं कर सकेगा तथा टेलीफोन लगाने में किसी प्रकार की तोड़ फोड़ आदि करने का हक व अधिकार नहीं होगा जिससे कि अन्य सदस्य को कोई क्षति हो।
8. यह कि विद्युत कनैक्शन द्वितीय पक्ष नियमानुसार अपने खर्चे से प्राप्त करेगा तथा उसके विद्युत बिल का भुगतान करेगा तथा उसकी कुल जिम्मेदारी तृतीय पक्ष की होगी।
9. यह कि क्रेता को इमारत के आखिरी तल की छत पर किसी प्रकार का स्वामित्व व अधिकार नहीं होगा।
10. यह कि क्रेता को उक्त फ्लैट में किसी प्रकार का ज्वलनशील व विस्फोटक पदार्थ आदि रखने का हक व अधिकार नही होगा सिवाय रोजमर्रा में प्रयोग में आने वाले गैस आदि रख सकेगा यदि किसी प्रकार की कोई हानि क्षति होती है तो उसकी जिम्मेदारी क्रेता व उसके परिवारीजनों की होगी।
11. यह कि क्रेता को बहुमंजिलीय इमारत के बालकनी आदि में किसी प्रकार का कोई विज्ञापन बोर्ड, होर्डिग आदि लगाने का अधिकार नहीं होगा।

Usha Khandelwal   Shailendra   Sanjay Khan

S. P. Singh
Chief C...ier
Trea...y, Agra

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 388365

सत्येन्द्र पाल
DEC 2013
11 NOV 2013
कोषाधिकारी
आगरा

12. यह कि वाहन पार्किंग स्कूटर, साईकिल के लिए प्रथम पक्ष द्वारा भूतल या तहखाने (अद्योतल) की जमीन पर नियत स्थान दिया गया है क्रेता नियत स्थान पर ही अपने वाहन को खड़ा कर सकेगा प्रत्येक सदस्य को एक स्कूटर/साइकिल खड़ा करने का अधिकार होगा
13. यह कि अगर भविष्य में कोई दैवीय आपदा या प्रकृति प्रकोप के कारण बहुमंजिला इमरात को कोई क्षति पहुँचती है तो उस दशा में समस्त सदस्यों को हक व अधिकार होगा कि वह उक्त इमारत को पुनः निर्माण के लिए अपने अपने भाग व क्षेत्रफल पर निर्माण करने के लिए संयुक्त रूप से उत्तरादायी होगें जिसका खर्चा प्रत्येक सदस्य वहन करेगा।
14. यह कि क्रेता जब भी उक्त फ्लैट का विक्रय करेगा तो उसको प्रथम पक्ष से एन.ओ.सी. प्राप्त करना आवश्यक होगा।
15. यह कि उक्त फ्लैट पर जो भी सरकारी टैक्स लगेंगें उन कुल की भुगतान की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।
16. यह कि आवसीय योजना में बाहय विकास जीना व सार्वजनिक रास्ता व लिफ्ट तथा बिजली जनरेटर चौकीदार आदि की देखभाल व प्रबन्ध करेगी तथा प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा और उसके जो भी मासिक खर्चे होगे वह भी अनिवार्य रूप से देने होगें।
17. यह कि उपरोक्त बिक्रीत फ्लैट के रखरखाव के लिए क्रेता द्वितीय पक्ष को कम्पनी द्वारा निर्धारित धनराशि एक मुश्त अग्रिम जमा करनी होगी और योजना का समस्त रख रखाव कम्पनी द्वारा किया जायेगा तथा उसका मासिक खर्चा भी क्रेता को कम्पनी को अदा करना होगा।
18. यह कि क्रेता व उसके वारिसान व स्थानापन्न आदि सार्वजनिक हित को ध्यान मे रखते हुये सीढ़ियों गैलरी व सीवर खुली जगह सामूहिक रूप से प्रयोग में आने वाली जगह समरसेबिल आदि का शामिलाती प्रयोग करेगें इन जगहों पर किसी प्रकार का काई अवरोध व रूकावट करने का अधिकार नहीं होगा।
19. यह कि क्रेता व उसके वारिसानों को हक होगा कि वह सामूहिक सुविधाओं का ध्यान रखते हुए फ्लैट से वहैसियत मालिकाना फायदा उठावें।

यह स्टाम्प [illegible] में शामिल है।

S. P. [illegible]

Trea[illegible] Agra

सब रजिस्ट्रार, प्रथम आगरा

सत्यमेव जयते